मामला क्रमांक

(1) | (2) | (3)

प्रकरण पेश। प्रकरण का अवलोकन किया।

22/04/2025

आवेदक श्री दयालु पिता लेखन का आवेदन दिनांक 11/03/2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन के संदर्भ में कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल नानगुर, तहसील नानगुर, जिला बस्तर का प्रतिवेदन दिनांक 21.04.2025 को प्राप्त हुआ। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्ष की स्थिति निम्नानुसार है:–

काटे जाने वाले वृक्षों की सूची:–

क्रमांक	वृक्ष क्रमांक	वृक्ष की प्रजाति	छाता गोलाई (मीटर में)
1.	19	सागौन	220
2.	62	सागौन	210
3.	17	सागौन	204
4.	26	सागौन	202
5.	5	सागौन	200
6.	12	सागौन	200
7.	33	सागौन	214
8.	51	सागौन	200
9.	9	सागौन	198
10.	11	सागौन	194

अभिलेख के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम पुसपाल प.ह.नं. 00004 रा.नि.मं. नानगुर तहसील नानगुर जिला बस्तर स्थित खसरा नं. 294/1, 294/2 रकबा 3.3600 हे. भूमि आवेदक श्री दयालु पिता लेखन वर्ग जनुसूचित जाति जाति माहरा निवासी मारकेल तहसील जगदलपुर जिला बस्तर के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर स्थित 10 नग सागौन वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्त वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी एवं यह आदेश केवल एक कैलेण्डर वर्ष के लिए ही मान्य रहेगी।

आदेशानुसार आवेदक को टीप करावें तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 22/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित आदेश पारित एवं उदघोषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
जगदलपुर